फर्द अहकाम

रामकुंवर वगैरह बनाम सरकार

नाम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़

केस संख्या 63/2022

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	18/7/24	पत्रावली पेश हुई। P.O. (पी.ओ.) अवकाश पर हैं। पत्रावली प्रस्तुत दिनांक 29/7/24 को पेश हो।
	29/7/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी व प्रतिवादी सरकार की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 02/8/24 को पेश हो।
	2/8/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली आदेश के विचाराधीन है। पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थी का प्रार्थना पत्र, प्रतिवादी के जवाब एवं समस्त दस्तावेजात का अवलोकन करने व बहस श्रवण करने पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 133, 136 एल.आर. एक्ट को स्वीकार किया जाता है तथा विस्तृत निर्णय पृथक से लिखकर शामिल मिसल किया गया। निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुदा शुमार होकर नियम से काम के बाद तामील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ जिला-जयपुर

(42)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर ग्रामीण.

पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
63 / 2022	29 / 04 / 2022	02 / 08 / 2024

1. रामकुवार पुत्र सुजीराम मीणा
2. चन्दालाल पुत्र हरसुखराम

समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम बाढरसूलपुरा तहसील आंधी जिला जयपुर राजस्थान।

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार आंधी, तहसील आंधी, जिला जयपुर।

अप्रार्थी

उपस्थित अभिभाषक

श्री किशनलाल – वकील प्रार्थीगण।

प्रार्थनापत्र बाबत् नक्शा दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 131,132, 136 एल0आर0 एक्ट

–:निर्णय :–

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थनापत्र विरूद्ध अप्रार्थी नक्शा दुरूस्तीकरण अन्तर्गत धारा 131,132,136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट के तहत् पेश कर निवेदन किया कि आबादी भूमि खसरा नम्बर 171 रकबा 0.68है0 जिसके एकीकरण खसरा नम्बर 106 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा जो मिलान क्षेत्रफल अनुसार खसरा नम्बर 297, 309, 310, 311, 312, 313 से बने है। आबादी भूमि खसरा नम्बर 171 के पूर्व खसरा नम्बर 106 में प्रार्थीगण का कब्जा होने के आधार पर ग्राम पंचायत लालवास द्वारा प्रार्थी सं0 1 को पटटा संख्या 24 दिनांक 10.11.1999 को जारी किया एवं जिसका विक्रय पत्र दिनांक 05.09.2000 को सरपंच ग्राम पंचायत लालवास द्वारा करवाया गया था व प्रार्थी संख्या 2 को पटटा संख्या 46 दिनांक 31.03.1998 को जारी किया गया था एवं विकय पत्र दिनांक 25.02.1999 को सरपंच ग्राम पंचायत लालवास द्वारा करवाया गया था। जिसके बाद में प्रार्थीगण द्वारा उक्त पटटेशुदा एवं कब्जाशुदा भूमियों पर काबिज है तथा वर्तमान में भी पुरानी गुवाडी एवं तीबारी पर पाटो खडी है नीम का पेड व पत्थर आदि सामान पडा हुआ है जिस कारण रजिस्टर्ड मालिक होने पर प्रार्थीगण श्रीमान के समक्ष वाद पेश करने का अधिकारी है। सेटलमेंट संन 2008 तक खसरा नम्बर 171 साबिक खसरा नम्बर 106 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा में उक्त आबादी भूमि का राजस्व का रकबा एवं नक्शा एकीकरण पूर्व सही था तथा एकीकरण के बाद सेटलमेंट में उक्त भूमियों की राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सही है लेकिन नवीन नक्शा कायम किया गया था जिसमें प्रार्थीगण का भूमि खसरा नम्बर 171 के नक्शें को खसरा नम्बर 168 जिसके साबिक खसरा नम्बर 103 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा के नक्शें में सेटलमेंट कर्मचारियों ने भूलवश तरमीम कर दी जो कि एकीकरण मिलान क्षेत्रफल खसरा नम्बर 257मिन, 259, 260, 295, 294 से बना है। जो कि विधि विरूद्व है। सेटलमेंट कर्मचारियों ने बिना पूर्व नक्शें व राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में रकबे का अवलोकन किये बिना नवीन नक्शा कायम किया है जो मौका स्थिति के विपरित है क्योकि मौके पर प्रार्थीगण पूव्र नक्शें व पटटेशुदा व कब्जाशुदा अनुसार कदीमी से रहवास करने आ रहे है एवं काबिज है। लेकिन जिस स्थान पर प्रार्थीगण को पटटा जारी किया गया है उस खसरे के नक्शें के स्थान पर खसरा नम्बर 168 के नक्शें को बढा करते हुये बना दिया गया है। जो प्रार्थीगण के अधिकारों के विरूद्व शून्य प्रभावी है जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थीगण के पूर्व खसरा नम्बर

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ जिला–जयपुर

106 के राजस्व नक्शें के विपरीत वर्तमान राजस्व नक्शें में प्रार्थीगण की भूमि वर्तमान खसरा नम्बर 171 के स्थान पर गलत तरमीम खसरा नम्बर 168 के पूर्व खसरा नम्बर 103 को मिलान क्षेत्रफल अनुसार दुरूस्त कर प्रार्थीगण के वर्तमान खसरा नम्बर 171 में स्थित कब्जाशुदा भूमि ग्राम बाढरसूलपुरा तहसील आंधी जिला जयपुर के पूर्व राजस्व रिकार्ड व पूर्व सेटलमेंट 2008 एवं मिलान क्षेत्रफल अनुसार वर्तमान नक्शा दुरूस्त किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थी की तलबी जारी की गई। अप्रार्थी (पेरोकार सरकार तहसीलदार) ने उपस्थित होकर अपने पत्र कमांक/ आर.टी./2024/181 दिनांक 4.3.24 द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया गया कि मुताबिक सेटलमेंट संवत 2008 नक्शा तथा मिलान क्षेत्रफल से स्पष्ट है कि एकीकरण नक्शे में खसरा नम्बर 106 के साबिक खसरा नम्बर 310 की तरमीम 103 के साबिक खसरा नम्बर 294 की तरमीम सेटलमेंट नक्शानुसार नही की गई तथा हाल सेटलमेंट 2008 में भी खसरा नम्बर 171 की तरमीम एकीकरण नक्शानुसार कर दी गई। सेटलमेंट संवत 2008 तथा हाल सेटलमेंट वर्ष 2008 के नक्शें की भिन्न तरमीम को संलग्न नजरी नक्शानुसार लाल स्याही से दिखाया गया है तदानुसार तरमीम दुरूस्त किया जाना उचित है। अतः वर्तमान नक्शें में खसरा नम्बर 171 रकबा 0.68है0 किस्म गै0मु0आबादी की तरमीम मुताबिक सेटलमेंट संवत 2008 के नक्शानुसार दुरूस्त किया जाना उचित होगा।

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी की बहस सुनने व पैराकार सरकार के जवाब एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर हम प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132,136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट को स्वीकार करना उचित समझते है ।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132,136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट को स्वीकार किया जाकर मुताबिक रिपोर्ट अनुसार वादग्रस्त भूमि ग्राम बाढरसूलपुरा, तहसील आंधी में स्थित वर्तमान खसरा नम्बर 171 को पूर्व राजस्व रिकार्ड व पूर्व सेटलमेट संवत 2008 अनुसार वर्तमान राजस्व नक्शें को दुरूस्त कर तरमीम करने के आदेश तहसीलदार आंधी को दिये जाते हे।

निर्णय की प्रति तहसीलदार आंधी को पालनार्थ हेतु भिजवाई जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो पत्रावली दाखिल दफतर हो।

निर्णय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 02.08.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ जिला जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़